मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ 7–21/2011/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 07 मार्च, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषयः–अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों पर हलबा कोष्टी/हलबी कोष्टी/कोष्टी जाति के उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार विरूद्ध मिलिन्द तथा अन्य में पारित निर्णय का क्रियान्वयन।

—0—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द और अन्य) में दिनांक 28–11–2000 को पारित निर्णय में प्रतिवादी को अनुसूचित जनजाति का नहीं माना गया परन्तु उसके प्रवेश को रद्द अथवा डिग्री को प्रभावित भी नहीं किया। भारत सरकार द्वारा इस मामले में विधि कार्य विभाग से परामर्श कर पाया गया कि मिलिन्द और इसी प्रकार के कुछ अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने कुछ उम्मीदवारों के प्रवेश और नियुक्ति को उन मामलों की विशेष परिस्थियों को देखते हुए रद्द नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय ने केवल उन्हीं उम्मीदवारों को विशेष राहत दी जो उन मामले में पार्टी थे। तत्संबंधी निर्देश भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन कमांक 42011/22/2006–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29 मार्च, 2007 द्वारा जारी किये गये थे।

2/ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील कमांक 1547/2007 (पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य बनाम विलास पुत्र गोविन्दराव बोकड़े) में मिलिन्द प्रकरण पर विचार किया गया तथा यह अभिनिर्धारित किया गया कि हलबा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे उम्मीदवार जो अनुसूचित जनजाति की प्रास्थिति साबित नहीं कर पाते है और उनकी नियुक्ति/प्रवेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 2294/1986 (महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिन्द एवं अन्य) में निर्णय पारित करने के दिनांक 28.11.2000 को या उसके पूर्व, अंतिम रूप से पूर्ण हो चुकी है, तो उन्हें संरक्षण दिया जाए।

..2..

3/ भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञाप कमांक 36011/2/2010 (आरक्षण) दिनांक 10 अगस्त, 2010 द्वारा यह निर्देश जारी किए गए है कि हल्बा कोष्टी/कोष्टी जाति के जिन व्यक्तियों हल्बा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्हें महाराष्ट्र राज्य के लिए जारी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय–समय पर संशेधित) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उनकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति हुई है तथा नियुक्तियॉ दिनांक 28–11–2000 के पूर्व अंतिम हो चुकी है, वह प्रभावित नहीं होगी, किन्तु उन्हें दिनांक 28–11–2000 के बाद आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

4/ माननीय उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश पर विधिक अभिमत प्राप्त करने के उपरांत राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के उक्त कार्यालयीन ज्ञाप दिनांक 10 अगस्त, 2010 के अनुसरण में उपरोक्तानुसार प्रावधान मध्यप्रदेश में भी किया जाए। अतएव एतद् द्वारा अभिनिर्धारित किया जाता है कि हल्बा कोष्टी/कोष्टी जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के लिए जारी संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय–समय पर संशेधित) के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया है और उन्हें अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पद पर नियुक्ति दी गई है तथा उनकी नियुक्ति दिनांक 28–11–2000 के पूर्व अंतिम हो चुकी है, उनकी नियुक्तियां प्रभावित नहीं होगीं। किन्तु उन्हें भविष्य में अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा और दिनांक 28–11–2000 के बाद आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(अरूण तिवारी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 07 मार्च, 2011

पृष्ठां क्रमांक एफ 7–21/2011/आ.प्र./एक,

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
4. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।

10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
11. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
12. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं. 309 निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52–ए अरेरा हिल्स, भोपाल।
13. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं. 103 तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी पूजा गुप्ता, हैदराबाद–500082।
14. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, भोपाल।
15. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
16. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
17. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
18. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी संबंधितों को अवगत कराएं।

(आर.के. गजभिये)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग